

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
नीलामी-सूचना

स्टाफ कार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिवालय परिसर में रखे ग्रामीण विकास विभाग का एक वाहन (जीप) की "जहां है जैसी है" हालत में खुले नीलामी द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के नीलामी समिति के देख-रेख में दिनांक-12.08.2015 को अप0 4 बजे मुख्य सचिवालय परिसर में स्थित ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा किया जायेगा । प्रस्तावित नीलामी हेतु जीप का निरीक्षण आवश्यकतानुसार क्रेता, ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव (लेखा) से सम्पर्क स्थापित कर कार्यालय अवधि में कर सकते है । वाहनों की विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	स्टाफ कार/वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का क्रय वर्ष	मुख्य सचिवालय परिसर में जहां वाहन रखा गया है ।
1	2	3	4	5
1.	BR-29-8706	JEEP जीप	1997	ग्रामीण विकास विभाग के पास (मुख्य सचिवालय)

नीलामी की शर्तें :-

- (क) केवल वे ही व्यक्ति नीलामी में डाक बोलने के हकदार होंगे, जिसके द्वारा प्रतिभूति के रूप में वाहन के विरुद्ध रूपया- 5,000.00 मात्र ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव (लेखा) के द्वारा प्रतिनियुक्त सहायक, श्री मिथिलेश कुमार दयिवेदी के पास नीलामी की तिथि के कम-से-कम एक दिन पूर्व जमा किया जायेगा ।
- (ख) सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति को डाक की राशि का 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) तत्काल जमा करना होगा ।
- (ग) विभाग द्वारा नीलामी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दो दिनों के अंदर सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन ले जाया जा सकता है । अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि स्वयं जप्त हो जायेगी ।
- (घ) (वोली) डाक की रकम पर वाणिज्य-कर वैट भी अलग से देय होगा ।
- (ङ) जिनका डाक (वोली) अस्वीकृत होगा उनके द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि डाक समाप्ति के बाद वापस कर दिया जायेगा ।
- (च) जिनका डाक की दर सबसे अधिक होगा उनकी प्रतिभूति की राशि अन्तिम निष्पादन तक रोक कर रखी जायेगी ।
- (छ) विभाग को बिना कारण बतायें डाक को अस्वीकृत करने एवं नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा ।


(महेन्द्र भगत)

सरकार के उप सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।